GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
*****

No. 2023/TG-I/30/SCC/P

New Delhi, dated 30.08.2023

The General Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 17 of 2023)

Sub: **Revised Composition of Station Consultative Committees (SCC).**
Ref: **Instructions issued vide no.**

i. 2002/TG-I/24/P dated 13.05.2002
ii. 92/TG-I/30/1 dated 12.02.1992
iii. 87/TG-I/30/1 dated 19.12.1988

Instructions have been issued from time to time vide above references inter-alia for constitution of Station Consultative Committees at zonal Railways.

2. With a view to secure better representation of Railway Users' and affording more frequent opportunities for consultation between Railway Administration and users on matters relating to the services/amenities provided by Railways at grass root level and means of improving the efficiency of such services/amenities, in supersession of previous instructions on Station Consultative Committee, it has been decided to reconstitute Station Consultative Committees as per the guidelines enclosed as Annexure to this letter.

3. It is desired that necessary instructions may be issued to all concerned to constitute Station Consultative Committees as above.

(Neeraj Sharma)
Executive Director Passenger Marketing,
Railway Board
Phone No. 011-23047354
e-Mail ID-edpm@rb.railnet.gov.in
Room No. 472, 4th Floor

Copy to:

1. Principal Chief Commercial Managers & Principal Chief Operating Managers, all Zonal Railways.
2. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
3. ADG/PR, EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
4. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001.
5. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
6. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
7. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
8. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
9. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
11. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
13. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

CONSTITUTION OF STATION CONSULTATIVE COMMITTEES

With a view to secure better representation of Railway Users' and affording more frequent opportunities for consultation between Railway Administration and users on matters relating to the services/amenities provided by Railways at grass root level and means of improving the efficiency of such services/amenities, it has been decided to expand the scope of Station Consultative Committees as under:-

i. Station Consultative Committees (SCC) shall be set up at all category stations.

ii. The total number of members to be nominated on SCC shall normally not exceed the limit of 11, 9 & 7 members at NSG-1, NSG-2 & NSG-3 category stations respectively and 5 at NSG-4, NSG-5 & NSG-6 category stations. At SG-1, SG-2 & SG-3 category stations, the total number of members to be nominated shall not exceed the limit of 11, 9 and 7 members respectively.

iii. The Committee shall consist of representatives from different fields including those mentioned below subject to the maximum limit prescribed for each category of station:-
   - Chambers of Commerce;
   - Local Trade and Industry;
   - Local educational institutions;
   - Local self-Government bodies;
   - Eminent persons of the Area and general public.

iv. SCC shall be constituted with the approval of Divisional Railway Manager concerned.

v. Meetings of SCC shall be chaired by Station Director/Station Manager/Station Superintendent/Station Master of the station, who will also be convener of the meeting.

vi. Senior Section Engineers (SSEs) of various departments e.g. Electrical, Mechanical, Civil etc. or any other official can be co-opted in the SCC.

vii. The tenure of the Station Consultative Committee shall be for two calendar years unless otherwise notified.

viii. Three meetings of SCC of each category of station shall normally be held in a year.

ix. The nature of these committees shall be consultative in character.

x. Persons holding assignments of profit connected with Railways e.g. catering and vending contractors, Out Agency contractors, handling contractors, engineering contractors, Rail Travellers Service Agents and State/Central Government Servant etc. are debarred from the membership of the SCC.

xi. Persons with conflict of interest and involved in litigation with Railways are also debarred from the membership of this committee.

******

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

*****

सं. 2023/टीजी-I/एससीसी/पी — नई दिल्ली दिनांक 30.08.2023

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2023 का वाणिज्य परिपत्र सं. 17)

विषय: स्टेशन परामर्श समितियों की संशोधित संरचना।

संदर्भ: निम्नलिखित पत्रों के तहत जारी अनुदेश

i. दिनांक 13.05.2002 का पत्र सं. 2002/टीजी-I/24/पी
ii. दिनांक 12.02.1992 का पत्र सं. 92/टीजी-I/30/1
iii. दिनांक 19.12.1988 का पत्र सं. 87/टीजी-I/30/1

उक्त संदर्भों के तहत समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय रेलों पर स्टेशन परामर्श समितियों के गठन के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

2. रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने और रेलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं/सुविधाओं तथा ऐसी सेवाओं/सुविधाओं की कुशलता में जमीनी स्तर पर सुधार लाने से संबंधित मामलों पर रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच परामर्श हेतु और अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, स्टेशन परामर्श समितियों पर जारी किए किए सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में इस पत्र के अनुलग्नक में संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेशन परामर्श समितियों का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया गया है।

3. यह वांछा की जाती है कि आशोधित प्रावधानों के अनुसार स्टेशन परामर्श समितियों का गठन करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(नीरज शर्मा)
कार्यपालक निदेशक यात्री विपणन,
रेलवे बोर्ड
फोन नं. 011-23047354
ईमेल आई डी -edpm@rb.railnet.gov.in
कमरा नं. 472, चौथी मंजिल

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
3. एडीजी/पीआर, कार्यपालक निदेशक सतर्कता (टी), कार्यपालक निदेशक वित्त (वाणिज्य), निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/वित्त आयुक्त, वि.का.अधि./टीसी, वित्त (वाणिज्य) एवं सतर्कता (विशेष दस्ता) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
4. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
5. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण एवं प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
7. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
8. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.
9. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चैम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
10. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), कमरा नं. 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे.एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.

*****

रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.08.2023 के पत्र सं. 2023/टीजी-I/30/एससीसी/पी का अनुलग्नक

स्टेशन परामर्श समितियों का गठन

रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने और रेलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं/सुविधाओं तथा ऐसी सेवाओं/सुविधाओं की कुशलता में जमीनी स्तर पर सुधार लाने से संबंधित मामलों पर रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच परामर्श हेतु और अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से निम्नानुसार स्टेशन परामर्श समितियों के क्षेत्र को बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है:-

i. स्टेशन परामर्श समितियां (एससीसी) सभी कोटि के स्टेशनों पर गठित की जाएंगी।

ii. स्टेशन परामर्श समिति (एससीसी) में नामित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या क्रमशः एनएसजी-1, एनएसजी-2 एवं एनएसजी-3 कोटि के स्टेशनों पर सामान्यतः 11, 9 एवं 7 तथा एनसीजी-4, एनसीजी-5 एवं एनसीजी-6 कोटि के स्टेशनों पर 5 से अधिक नहीं होगी। एसजी-1, एसजी-2 एवं एसजी-3 कोटि के स्टेशनों पर, नामित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या क्रमशः 11, 9 एवं 7 से अधिक नहीं होगी।

iii. इस समिति में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जिसमें स्टेशनों की प्रत्येक कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स;
- स्थानीय व्यापार एवं उद्योग;
- स्थानीय शैक्षणिक संस्थान;
- स्थानीय स्व-शासन निकाय;
- क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति और आम जनता।

iv. एससीसी का गठन संबंधित मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन से किया जाएगा।

v. एससीसी की बैठकों की अध्यक्षता स्टेशन के स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर द्वारा की जाएगी, जो उस बैठक का संयोजक भी होगा।

vi. विभिन्न विभागों जैसे, बिजली, यांत्रिक, सिविल आदि के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) या किसी अन्य पदधारी को एससीसी में सहभागी बनाया जा सकता है।

vii. स्टेशन परामर्श समिति की समयावधि दो कैलेंडर वर्ष की होगी जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।

viii. प्रत्येक कोटि के स्टेशन की स्टेशन परामर्श समिति की एक वर्ष में सामान्यतः तीन बैठकें होंगी।

ix. ये समितियां परामर्शी प्रकृति की होंगी।

x. ऐसे व्यक्ति जो रेलवे के साथ जुड़े हुए लाभ के कार्य से संबंधित हैं अर्थात् खानपान एवं वेंडिंग ठेकेदार, आउट एजेंसी ठेकेदार, हैंडलिंग ठेकेदार, इंजीनियरी ठेकेदार, रेल यात्री सेवा एजेंट और राज्य/केन्द्र सरकार के सेवक आदि को स्टेशन परामर्श समिति की सदस्यता नहीं दी जाएगी।

xi. हितों के टकराव वाले और रेलों के साथ मुकदमेबाजी में शामिल व्यक्तियों को भी इस समिति की सदस्यता नहीं दी जाएगी।

*****